

कम्प्यूटर पर पत्र सं०- 1718041 दिनांक 27.9.17 अत्यन्त महत्वपूर्ण  
पत्रसं०- (वि०अनु०शा०)मु०-06/स०प०/एफ०एम०सी०जी०/117-18/ 1708 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर/राज्य कर, 30प्र०

(वि०अनु०शा०-अनुभाग)

लखनऊ ::दिनांक 27 सितम्बर,2017

समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर

एडीशनल कमिश्नर-ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०)

वाणिज्य कर/राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

वाणिज्यिक क्रिया कलापों की दृष्टि से आने वाला महीना अत्यन्त महत्वपूर्ण है । दशहरा, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भइया दूज एवं छठ के पर्व शीघ्र आने वाले हैं । ऐसे अवसरों पर व्यापक बिक्री के उद्देश्य से बड़ी-बड़ी कम्पनियों द्वारा अपने उत्पादों पर विभिन्न प्रकार की स्कीम घोषित की जाती है तथा मोटर व्हेकिल, दुपहिया वाहनों, इलेक्ट्रानिक वस्तुओं, इलेक्ट्रिकल गुड्स, किराना, मेवा, मिठाई, चाकलेट, पान मसाला, मीठी सुपारी, टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेण्ट , बर्तन, क्राकरी, गिफ्ट आइटम व अन्य एफ०एम०सी०जी० वस्तुओं का क्रय / विक्रय अन्य किसी भी माह की तुलना में इस अवसर पर अधिक होता है । ई-शॉपिंग कम्पनीज, कोरियर कम्पनियों की सक्रियता बढ़ जाती है ।

इसी क्रम में दीपावली के अवसर पर विभिन्न बैंकों एवं डाकघरों द्वारा सोने/ चाँदी के सिक्के / बुलियन की बिक्री एवं विभिन्न कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसेज में किराना/ मेवा का भण्डारण किया जाता है । इसके अतिरिक्त थोक व बड़े व्यापारियों , स्टाकिस्टों द्वारा अपने आपूर्ति केन्द्रों / गोदामों पर भी उक्त बिक्री योग्य वस्तुओं का संग्रह कर लिया जाता है । अतएव ऐसे अवसरों पर व्यापक बिक्री के दृष्टिगत करापवंचन पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु विशेष सतर्कता रखने की आवश्यकता है । इसके साथ ही फास्ट मूविंग कन्ज्यूमर गुड्स (एफ०एम०सी०जी०) का व्यापार करने वाली फर्मों की गतिविधियों पर नजर रखना आवश्यक है । बड़े पैमाने पर पटाखों एवं आतिशबाजी के सामानों की बिक्री किए जाने हेतु भण्डारण किया जा रहा है ।

उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत दिनांक 27-09-2017 से दिनांक 17-10-2017 तक सघन प्रवर्तन अभियान अपने निर्देशन में संचालित करते हुये जोन में कार्यरत वि०अनु०शा० इकाईयों एवं सचल दल इकाईयों से निम्न जाँच एवं प्रवर्तन कार्य कराने की व्यवस्था करें :-

1. बैंको / डाकघरों द्वारा सोने की बिक्री किए जाने,पार्सल के माध्यम से सोना / बुलियन मँगाए जाने की सूचना संकलित करते हुए एक अभियान के रूप में उनकी जाँच सुनिश्चित करें ।
2. ड्राईफ्रूट्स, मिष्ठान, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, गिफ्ट आइटम्स, क्लाथ, टेक्सटाइल तथा रेडीमेड गारमेण्ट्स, बर्तन, पटाखे एवं आतिशबाजी के थोक व्यापारियों की जाँच एवं कोल्ड स्टोरेज / वेयर हाउसेज के सम्बंध में सूचना एकत्र कर उनकी प्रभावी जाँच कराये ।
3. पान मसाला एवं तम्बाकू के अन्य उत्पाद बीडी सिगरेट 'SIN GOODS' आदि जिनमें सेस आरोपित किया जाना है, के निर्माता एवं बड़े ट्रेडर्स की जाँच करवायी जाये ।

4. वर्तमान में ई-कामर्स संबंधी सम्व्यवहारों पर उनके द्वारा डाउनलोड किये जा रहे ई-वे बिल के दृष्टिगत आन लाइन हो रहे सम्व्यवहारों पर सतर्क दृष्टि रखते हुये ई-शापिंग कम्पनी से नियमानुसार कर जमा कराने सम्बन्धी कार्य का सघन अनुश्रवण किया जाये ।
5. सचलदल इकाईयों को भी सतर्क करते हुए उपरोक्त करयोग्य वस्तुओं से सम्बंधित अधिक से अधिक संख्या में वाहनों की जाँच एवं बिल संग्रहण का कार्य कराते हुए कार्यालय ज्ञापन संख्या के.वि.सं.के./2017-18 / 156 / वाणिज्यकर दिनांक 22-09-2017 का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए बिलों के माध्यम से हो रहे करापवंचन को रोकने की प्रभावी कार्यवाही की जाय ।
6. ठोस सूचनाओं के आधार पर थोक एवं बड़े ट्रॉसपोटर्स व्यापारियों तथा स्टाकिस्टों के गोदामों तथा आपूर्ति केन्द्रों की गहनता से जाँच कराकर तथा आन लाइन शापिंग / सर्विस प्रोवाइडर कोरियर कम्पनियों के वाहनों से परिवहित हो रहे माल की सघन जांच कर करापवंचन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाये ।

वि०अनु०शा० एवं सचल दल इकाईयों के द्वारा जाँच प्रक्रिया निम्नलिखित परिपत्रों से निर्धारित की गयी है-

- 1- परिपत्र संख्या-ज्वा०कमि०(वि०अनु०शा०)/मु०/स०प०/17-18/ 1442 दिनांक 30-08-2017
- 2- परिपत्र ज्वा०कमि०(वि०अनु०शा०)/मु०/स०प०/17-18/ 1450 दिनांक 31-08-2017
- 3- स०द०जीएसटी/माल परिवहन/17-18/ 1168 दिनांक 16-08-2017
- 4- स०द०-ई वे बिल व्यवस्था- जाँच निर्देश -2017-18/ 1177 दिनांक 16-08-2017

उक्त परिपत्र मार्गदर्शन हेतु जारी किये गये हैं उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा-67, 68, 69, 70, 72, 122, 129, 130, 132 एवं नियम-139, 140 एवं 141 में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए अन्य सुसंगत धाराओं का भी प्रयोग करके सुदृढ़ प्रवर्तन कार्य किया जाना सुनिश्चित कराया जाय । इस कार्य हेतु जोन में कार्यरत प्रवर्तन एवं कर-निर्धारण कार्य में तैनात वाणिज्य कर अधिकारियों सहित समस्त अधिकारियों का उपयोग करते हुए करापवंचन रोकने की दिशा में प्रभावी एवं परिणाममूलक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें ।


उक्त सम्बंध में निर्देशित किया जाता है कि व्यापारी वर्गों द्वारा इंगित कठिनाइयों जिसमें जाँच के नाम पर छोटे व्यापारियों का उत्पीड़न किया जाना भी सम्मिलित है, के सम्बन्ध में सम्यक विचारोंपरान्त निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं ।

- 1- पान मसाला आदि 'SIN GOODS' के ट्रेड के छोटे छोटे एवं खुदरा व्यापारियों के बजाय इस ट्रेड के बड़े व्यापारियों, स्टाकिस्टों तथा करापवंचक निर्माता इकाईयों की रेकी कराते हुए व्यापारी की प्रोफाइल तैयार कराते हुए विधिवत तैयारी करके जाँच की जाय ।
- 2- रुपये 50 लाख तक के वार्षिक टर्नओवर वाले पंजीकृत व्यापारियों की विशेष अनुसंधान शाखा से जाँच तब तक न करायी जाय, जब तक कि उनके द्वारा भारी करापवंचन की प्रथम दृष्टया पुष्टि न हो जाय ।

- 3- इसी प्रकार मिठाई, ड्राई फ्रूट, गिफ्ट आइटम इत्यादि के व्यापारियों पर उनके मिक्स सप्लाई पर जिसपर सर्वाधिक टैक्स की दर होगी उस वस्तु पर कर की दर से कर आरोपित कराने की कार्यवाही करवायी जाये तथा किये जा रहे करापवंचन के दृष्टिगत नज़र रखते हुए गहन अनुसंधान करते हुए आवश्यकतानुसार विस्तृत जाँच कराई जाय।
- 4 - इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के व्यापारियों पर उनके कम्पोजिट सप्लाई के दृष्टिगत नज़र रखते हुए गहन अनुसंधान करते हुए विस्तृत जाँच कराये जाने का प्रयास किया जाय।
- 5- करापवंचन रोकने के दृष्टिगत आसन्न त्योहारों के अवसर पर विभिन्न व्यापार मण्डलों का सहयोग करापवंचन रोकने के लिए लिया जाए एवं कर योग्य वस्तुओं का क्रय/विक्रय नियमानुसार करने हेतु व्यापारी वर्ग एवं ग्राहकों को जागरूक करने हेतु अभियान संचालित किये जायें।

मुख्यालय के द्वारा जारी परिपत्र ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)/मु0/स0प0/17-18/1450 दिनांक 31-08-2017 के अंश - " फील्ड स्तर के यदि किसी मामले में जाँच आवश्यक समझी जाये तो मामले के सभी विवरण सहित अधोहस्ताक्षर कर्ता अथवा एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश लखनऊ से अनुमति प्राप्त करके ही जाँच की जायेगी।" को विलोपित किया जाता है।

वि0अनु0शा0 से सम्बंधित जाँच एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 की लिखित अनुमति एवं निर्देशन में करवायी जायेगी। कृत कार्यवाही से सम्बंधित पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट मुख्यालय के वि0अनु0शा0 एवं सचलदल अनुभाग को पृथक-पृथक पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में उपलब्ध करायी जायेगी। उपरोक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

  
27/09/17  
(मुकेश कुमार मेश्राम)

कमिश्नर, राज्य कर/वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश।

फेस्टिवल सीजन दिनांक 28.09.2017 से दिनांक 15.10.2017 तक किये गये कार्य की पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट वि0अनु0शा10

अनुभाग से सम्बन्धित

वि0अनु0शा10 इकाईयों द्वारा कोल्ड स्टोरेज /वेयर हाउस /गोदाम की जांच से सम्बन्धित

धनराशि (लाख रूपये में )

क्रम सं०	कोल्ड स्टोरेज/वेयर हाउस/गोदाम जिनकी जांच की गयी	जांच पर पायी गयी करपर्वचित वस्तुओं का नाम	प्रथम दृष्टया जांच पर पाया गया अनुमानित अपर्वचित टर्नओवर (लाख रूपये )	जमा कराई गयी धनराशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	

व्यापारियों की जांच से सम्बन्धित

क्रम सं०	व्यापारी का नाम जिसके व्यापार स्थल की जांच की गयी	सर्वे / सीजर का दिनांक	वस्तुओं का नाम	पाया गया अनुमानित अपर्वचित टर्न ओवर (लाख रूपये में )	जमा कराई गयी धनराशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	

सचल दल इकाईयों द्वारा की गयी जांच से सम्बन्धित

जोन का नाम

क्रम सं०	जांच किये गये वाहनो/टंसपोर्टरो की संख्या	वस्तुओं का नाम	दोषी पाये गये वाहनो की संख्या	अभिग्रहीत माल का मूल्य (लाख रूपये में )	जमा करायी गयी जमानत की धनराशि (लाख रूपये में)	संग्रहित किये गये बिलों की संख्या	संग्रहित बिलों में निहित धनराशि (लाख रूपये में )
1	2	3	4	5	6	7	8